न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
89 / 2023	06.07.2023	8/12/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– उर्मिला उर्फ अनुराधा सिंह पुत्री नानिहाल सिंह पत्नि सीपीसिंह (सूरजपाल सिंह) जाति जाट निवासी संजय नगर चम्बल मार्ग कोटा जंक्शन हाल निवासी वास्तुधाम कोलोनी धर्मापुरी जिला धार म0प्र0

(वादनी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 5 किता की 3.25 है0 भूमि वादनी के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत 2072–2075 संलग्न है।

खसरा न0 354 की 0.04 है0
खसरा न0 1400 की 0.27 है0
खसरा न0 1401 की 1.32 है0
खसरा न0 1461 / 1401 की 1.58 है0
खसरा न0 1462 / 354 की 0.04 है0
कुल 5 किता की 3.25 है0

2– यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम उर्मिला दर्ज है। वादनी का घर का नाम उर्मिला है तथा दस्तावेजों में वादनी का नाम अनुराधासिंह है। वादनी को दोनों नाम से पुकारा जाता है व पहचाना जाता है।

3– यह कि वादनी के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में व बैंक पास बुक, पेन कार्ड आदि में वादनी का नाम अनुराध सिह दर्ज है इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बोलता नाम उर्मिला दर्ज है उसके स्थान पर अनुराधासिह दर्ज किय जाना आवश्यक हो गया है। यदि नाम की दुरूस्ती नहीं की गई तो वादनी को भविष्य में काफि कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।

4— यह कि इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 02.05.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5— यह कि वाद कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का बोलता नाम उर्मिला दर्ज करने पर तथ दिनांक 02.05.2023 को प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

6— यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1. कि ग्राम देवपुरा तसहील दीगोद जिला कोटा की खसरा न0 354 की 0.04 है0, खसरा न0 1400 की 0.27 है0, खसरा न0 1401 की 1.32 है0, खसरा न0 1461/1401 की 1.58 है0, खसरा न0 1462/354 की 0.04 है0 कुल 5 किता की 3.25 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम उर्मिला के स्थान उर्मिला उर्फ अनुराधा सिंह दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

3. कि वाद व्यय वादनी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

4. कि अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः—

1— नकल जमाबन्दी सवंत् 2072—2075 ग्राम देवपुरा खाता सं0नया 9 पुराना 9
2— नकल छाया प्रति बिधुत बिल
3— नकल छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र
4— नकल छाया प्रति आधार कार्ड
5— नकल छाया प्रति बैंक पासबुक
6— नकल छाया प्रति पेन कार्ड
7— मूल निवास प्रमाण पत्र जर्ये तहसीलदार धरमपुरी जिला धार मध्यप्रदेश
8— प्रमाण पत्र कार्यालय नगर परिषद धामनोद जिला धार मध्य प्रदेश
9— फोटोप्रति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
10— शपथ पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादीनी उर्मिला उर्फ अनुराधा पुत्री नौनिहाल सिंह पत्नी सीपीसिंह जाति जाटव निवासी संजयनगर कोटा स्वयं का दिया गया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी का नाम उर्मिला के स्थान पर उर्मिला उर्फ अनुराधा व जाति जाट के स्थान पर जाटव किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम देवपुरा तसहील दीगोद जिला कोटा की खसरा न0 354 की 0.04 है0, खसरा न0 1400 की 0.27 है0, खसरा न0 1401 की 1.32 है0, खसरा न0 1461/1401 की 1.58 है0, खसरा न0 1462/354 की 0.04 है0 कुल 5 किता की 3.25 है0 भूमि में वादनी का नाम उर्मिला के स्थान पर उर्मिला उर्फ अनुराधा व जाति जाट के स्थान पर जाटव दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– उर्मिला उर्फ अनुराधा सिंह पुत्री नानिहाल सिंह पत्नि रीपीसिंह (सूरजपाल सिंह) जाति जाट निवासी संजय नगर चम्बल मार्ग कोटा जंक्शन हाल निवासी वास्तुधाम कोलोनी धर्मापुरी जिला धार म0प्र0

(वादनी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल नं 89/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम देवपुरा तसहील दीगोद जिला कोटा की खसरा न0 354 की 0.04 है0, खसरा न0 1400 की 0.27 है0, खसरा न0 1401 की 1.32 है0, खसरा न0 1461/1401 की 1.58 है0, खसरा न0 1462/354 की 0.04 है0 कुल 5 किता की 3.25 है0 भूमि में वादनी का नाम उर्मिला के स्थान पर उर्मिला उर्फ अनुराधा व जाति जाट के स्थान पर जाटव दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 8/12/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद